273

संख्या– /XVIII(II)/2015–18(35)/2015

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 09 मार्च, 2015

विषयः–जनपद उधमसिंहनगर में एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जसपुर के निर्माण हेतु कुल 1.181 है0 भूमि उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–139/अ0क0/भूमि–हस्तांतरण/2014–15 दि0–12.12.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम जसपुर, पट्टी नेतराम, तहसील जसपुर, जनपद उधमसिंहनगर के खसरा सं0–108 रकबा 1.181 है0 भूमि श्रेणी 5(3)ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260 /वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15.02.2002 के प्राविधानों के अधीन उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, अल्प संख्यक कल्याण उत्तराखण्ड की विभागीय परामर्श/अनापत्ति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने के कारण भारत सरकार की पूर्वानुमति मिलने के पश्चात ही वास्तविक हस्तांतरण किया जाना जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8– प्रश्नगत जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 व अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

.....2

9– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या– 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0–436/2011 /SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि0–जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या– 308 /समदिनांकित/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग/अल्प संख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– निदेशक, अल्प संख्यक कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
उप सचिव।